2022 का विधेयक संख्यांक 187

[दि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022

विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवर्तन में आने के लिए निर्देश है ।

कतिपय पदों के निर्देश का कतिपय अन्य पदों द्वारा प्रतिस्थापन ।

2. सर्वत्र विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में, "कंपनी अधिनियम, 1956" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "कंपनी अधिनियम, 2013" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

2003 का 36
1956 का 1
2013 का 18

धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (31) में, "धारा 617" शब्द और अंक के स्थान पर, "धारा 2 का खंड (45)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (50) में, उपखंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ट) ऊर्जा भंडारण प्रणाली ;";

(iii) खंड (60) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(60क) "संदाय की प्रतिभूति" से संदाय की ऐसी प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।'।

धारा 8 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) प्राधिकरण, स्कीम की परीक्षा करने के पश्चात् स्कीम पर सहमति ऐसी रीति में देगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।"।

धारा 14 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) किसी प्रदाय क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में, ऐसे मानदंड के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, विद्युत वितरित करने के लिए ।"।

(ख) छठे परंतुक में, "अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 15 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (6) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि यदि समुचित आयोग, इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति प्रदान करने या आवेदन को नामंजूर करने में असफल रहता है, तो आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान की गई समझी जाएगी ।" ।

धारा 26 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

(i) उपधारा (2) में,—

(क) "और कृत्य वे होंगे" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, "राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र" शब्दों के पश्चात्, "विद्युत प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किसी स्कीम को कार्यान्वित करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा यथा आदेशाधीन के सिवाय"

शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र—

(क) देश में विद्युत प्रणाली के समेकित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च निकाय होगा ;

(ख) अधिकतम अनुसूचन के लिए और अनुज्ञप्तिधारियों या उत्पादन कंपनियों के साथ की गई संविदाओं के अनुसार संपूर्ण देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में विद्युत का प्रेषण करने के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु कोई विद्युत ऐसी संविदा के अधीन तब तक अनुसूचित और प्रेषित नहीं की जाएगी, जब तक कि संदाय की पर्याप्त प्रतिभूति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, नहीं कर दी जाती ;

(ग) ग्रिड प्रचालन को मानीटर करेगा और विद्युत ग्रिड की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र को यथावश्यक निदेश देगा ;

(घ) अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-प्रादेशिक पारेषण नेटवर्क का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा ; और

(ङ) देश में विद्युत ग्रिड के प्रचालन के नियत समय का पालन करने के लिए समस्त प्राधिकार रखेगा ।

(5) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, देश के विद्युत ग्रिड की सुरक्षा के लिए यथावश्यक विद्युत प्रणाली पर ऐसे पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेगा और ऐसे निदेश देगा, जो ग्रिड प्रचालन की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए और संपूर्ण देश में विद्युत प्रणाली के प्रचालन के लिए दक्षता की प्राप्ति की जा सके ।

(6) राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र संबद्ध प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के माध्यम से, राज्य भार प्रेषण केंद्र को ऐसे निदेश देगा, जो आवश्यक हों ।

(7) प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, राज्य भार प्रेषण केंद्र, अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कंपनी, उत्पादन केंद्र, उपकेंद्र और अन्य ऐसे व्यक्ति, जो विद्युत प्रणाली के प्रचालन से संबंधित हैं, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों का पालन करेंगे ।"।

धारा 28 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (3) के खंड (क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसी संविदा के अधीन किसी विद्युत का निर्धारण या प्रेषण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति का संदाय न कर दिया गया हो, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।"।

धारा 32 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसी संविदा के अधीन किसी विद्युत का निर्धारण या प्रेषण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति का संदाय न कर दिया गया हो, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।"।

धारा 40 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 40 में,—

(क) खंड (ग) के उपखंड (ii) में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि ऐसा उपभोक्ता, जिसे विद्युत प्रदाय अपेक्षित है, जहां किसी भी समय उपलब्ध कराई जा सकने वाली अधिकतम विद्युत एक मेगावाट से अधिक है, वह केंद्रीय आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार, अंतरराज़्यीय पारेषण तंत्र तक, पारेषण प्रभारों और उन पर ऐसा अधिभार जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के संदाय पर निर्बाध पहुंच का हकदार होगा ।"।

(ख) चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकण**—इस धारा और धारा 42 के प्रयोजनों के लिए "मेगावाट" पद से दस लाख वाट अभिप्रेत है ।

धारा 42 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 42 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1) सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस अधिनियम के उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा तद्धीन बनाए गए नियमों तथा समुचित आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार और विनियामक मंच द्वारा अधिकथित आदर्श विनियमों के अनुसार,—

(क) अपने प्रदाय क्षेत्र में एक दक्ष, समन्वित और मितव्ययी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करें :

परंतु कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रदाय के क्षेत्र में विद्युत प्रदाय हेतु अविभेदकारी निर्बाध पहुंच तंत्र के माध्यम से अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के वितरण तंत्र का उपयोग कर सकेगा ;

(ख) चक्रण प्रभारों के संदाय पर अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अविभेदकारी निर्बाध पहुँच प्रदान करें ; और

(ग) उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय उपलभ्य करें ;";

(ii) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(4क) कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी, प्रदाय के उसी क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्ति रखने वाले सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को, चक्रण प्रभारों के संदाय के अधीन रहते हुए और समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार, अपने वितरण तंत्र के माध्यम से अविभेदकारी

निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराएगा ।

(4ख) समुचित आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत फाइल किए जाने की दशा में या यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अपने वितरण तंत्र के माध्यम से निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराने में जानबूझकर असफल हुआ है या उसने अपने वितरण नेटवर्क का प्रयोग करने से किसी भी रीति में प्रतिबाधित किया है, तो समुचित आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।"।

धारा 59 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) कारपोरेट शासन संबंधी केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन की प्रास्थिति ।"।

नई धारा 60क का अंतःस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 60 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

विद्युत क्रय, परस्पर-सहदायिकी आदि का प्रबंधन ।

"60क. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रदाय क्षेत्र में एक से अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति जारी करने पर, विद्यमान वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ किए गए विद्यमान विद्युत क्रय करार से अन्य वितरण अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख को ही, विद्युत और सम्बद्ध लागत का, प्रदाय के क्षेत्र में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के बीच, ऐसे समझौते के अनुसार, जो राज्य आयोग द्वारा इस अधिनियम और केंद्रीय सरकार द्वारा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाए, बंटवारा किया जाएगा :

परंतु राज्य आयोग, आवधिक रूप से विद्यमान विद्युत क्रय करारों में यथा उपबंधित विद्युत के बंटवारे की समीक्षा करेगा :

परंतु यह और कि कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान विद्युत क्रय करारों का अभिबंधन पूरा करने के पश्चात्, किसी अतिरिक्त विद्युत अपेक्षा को पूरा करने के लिए, अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ बिना हिस्सा बंटाए, अतिरिक्त विद्युत क्रय करार करेगा ।

(2) किसी प्रदाय क्षेत्र में एक से अधिक वितरण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की दशा में, राज्य सरकार, परस्पर-सहदायिकी संतुलन निधि स्थापित करेगी, जिसका प्रबंध किसी सरकारी कंपनी या उस सरकार द्वारा पदाभिहित इकाई द्वारा ऐसे विनियमों के अनुसार किया जाएगा, जो राज्य आयोग इस अधिनियम और केंद्रीय सरकार द्वारा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार बनाए :

(3) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास, प्रति-सहदायिकी या प्रति-सहदायिकी अधिभार या अतिरिक्त अधिभार के कारण बचे हुए किसी अधिशेष को उपधारा (2) में निर्दिष्ट निधि में निक्षेप किया जाएगा और इस निधि को प्रदाय के उसी क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में प्रति-सहदायिकी में किन्हीं कमियों

के वित्तपोषण को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा ।"।

धारा 61 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 61 में, खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) विद्युत के प्रदाय हेतु उपगत सभी मितव्ययी लागतों को टैरिफ वसूल करता है ;

(छक) टैरिफ, टैरिफ नीति में यथा उपबंधित रीति में प्रति-सहदायिकी को कम करता है ;"।

धारा 62 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 62 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (घ) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु दो या दो से अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उसी क्षेत्र में विद्युत वितरण करने की दशा में, समुचित आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने के लिए विद्युत के खुदरा विक्रय हेतु टैरिफ में केवल अधिकतम ऊपरी सीमा, इस अधिनियम के उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा तद्धीन बनाए गए नियमों तथा विनियामक मंच द्वारा प्रकाशित आदर्श विनियमों के अनुसार नियत करेगा :

परंतु यह और कि ऐसे टैरिफ में ऊपरी सीमा, टैरिफ में ऊपरी सीमा के प्रारंभ से पूर्व की अवधि से संबंधित प्रति-सहदायिकी, चक्रण प्रभार और टैरिफ में समायोजन को, यदि कोई हो, ऐसे समुचित आयोग द्वारा पृथक रूप से उपदर्शित किया जाएगा ।";

(ii) उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु समुचित आयोग, आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, टैरिफ नीति के अनुसार किसी वर्ष के दौरान चार स्तरों से अनधिक, अनुज्ञप्तिधारी को टैरिफ में संशोधन के कारण परिवर्तनों को लागू करना अनुज्ञात कर सकेगा । "

धारा 64 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 64 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) धारा 62 के अधीन टैरिफ का अवधारण करने के लिए कोई आवेदन, उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो समुचित आयोग द्वारा अवधारित की जाए, किया जाएगा :

परंतु विनिर्दिष्ट समय ऐसा होना चाहिए, जिससे नई टैरिफ, उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से प्रवृत्त हो :

परंतु यह और कि यदि कोई आवेदन, किसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय पर नहीं किया जाता है, तो राज्य आयोग, विनियमों में विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के तीस दिन के अपश्चात्, टैरिफ का अवधारण करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करेगा और वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के पूर्व टैरिफ का अवधारण करने के उद्देश्य से ऐसी

जानकारी, ब्यौरे और दस्तावेज मांगेगा, जो ऐसे अवधारण के लिए अपेक्षित हों :

परंतु यह भी कि जहां दो या दो से अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय के उसी क्षेत्र में प्रचालन करते हैं, वहां राज्य आयोग, ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से अपेक्षित जानकारी मांगने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से, टैरिफ की अधिकतम ऊपरी सीमा और न्यूनतम टैरिफ नियत करेगा ।";

(ii) उपधारा (3) में,—

(क) "किसी आवेदन की प्राप्ति से एक सौ बीस दिन" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन की प्राप्ति से या कार्यवाहियों के आरंभ से नब्बे दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि किन्हीं कारणों से टैरिफ आदेश जारी नहीं किया जा सकता हो, जिन्हें लेखबद्ध किया जाए, तो समुचित आयोग, ऐसे आवेदन की प्राप्ति या ऐसी कायेवाहियों के प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर अंतरिम टैरिफ के लिए आदेश जारी करेगा ।"।

परंतु यह और कि अंतरिम टैरिफ, अंतिम टैरिफ आदेश जारी किए जाने तक प्रचालन में बनी रहेगी जिसे टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन की प्राप्ति या ऐसी कार्यवाहियों के प्रारंभ होने से एक सौ पचास दिन से अनधिक की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा।"

धारा 77 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 77 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष, योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा और अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जो,—

(i) विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण से संबंधित विषयों पर कार्य करने वाले किसी संगठन का प्रमुख है या रहा है ; या

(ii) भारत केंद्रीय सरकार में सचिव या उसके समतुल्य पद पर है या रहा है :

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को अधिमान्यता दी जाएगी , जिसके पास विद्युत सेक्टर में दो वर्ष से अन्यून का अनुभव और पर्याप्त ज्ञान हो ।";

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष से भिन्न, सदस्य, योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा और अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनके पास इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, लोक नीति या लोक

प्रशासन या प्रबंधन के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो और उन्हें निम्नानुसार नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) एक व्यक्ति, जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी के क्षेत्र में पर्याप्त अर्हताएं और अनुभव रखता हो ;

(ख) एक व्यक्ति, जो वित्त, अर्थशास्त्र या वाणिज्य, लोक नीति या लोक प्रशासन या प्रबंधन के क्षेत्र में पर्याप्त अर्हताएं और अनुभव रखता हो ; और

(ग) एक व्यक्ति जो न्यायिक पद धारण कर रहा है या किया है, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास विधि में पर्याप्त वृत्तिक अर्हताएं और अनुभव है "।

धारा 78 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 78 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (क) में, "योजना आयोग" शब्दों के स्थान पर, "नीति आयोग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, "धारा 4क में विनिर्दिष्ट" शब्दों, अंक और अक्षर के स्थान पर, "धारा 2 का खंड (72) में परिभाषित" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (9) में,—

(क) "चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर, "चयन समिति में अध्यक्ष से भिन्न, किसी रिक्ति के कारण भी अविधिमान्य नहीं होगी ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 79 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(च) खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारियों को अंतर्वलित करने वाले विवादों, जिसके अंतर्गत किसी संविदा के अधीन विद्युत के पारेषण या क्रय, विक्रय से संबंधित बाध्यताओं के निर्वहन से संबंधित वे विषय भी हैं, का न्यायनिर्णयन करना ;

(चक) धारा 26, धारा 28 और धारा 29 से सम्बद्ध विषयों के संबंध में राष्ट्रीय भार निर्धारण केंद्र या प्रादेशिक भार निर्धारण केंद्र को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना ;";

(ख) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ञक) किसी एक से अधिक राज्य में विद्युत वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना ;";

(ग) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष, धारा 77 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्यों और एक सदस्य से अनधिक, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से मिलकर बनने वाली एक पीठ का गठन करेगा, जो खंड (च) और खंड (चक) में उपबंधित कृत्यों का निर्वहन करेगी ;"।

धारा 82 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 82 में,—

(i) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) राज्य आयोग, एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा ।";

(ii) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) यदि कोई राज्य आयोग, रिक्तियों के कारण अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो केंद्रीय सरकार, सम्बद्ध राज्य सरकार के परामर्श से, उसके कृत्यों को किसी अन्य राज्य आयोग या संयुक्त आयोग, जो यह आवश्यक समझे, को न्यस्त कर सकेगी ।"।

धारा 84 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 84 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) राज्य आयोग का अध्यक्ष, योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा और अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जो,—

(i) विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण से संबंधित विषयों पर कार्य करने वाले किसी संगठन का प्रमुख है या रहा है ;

(ii) राज्य सरकार में प्रधान सचिव या उसके समतुल्य पद पर है या रहा है :

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को अधिमान्यता दी जाएगी, जिसके पास विद्युत सेक्टर में दो वर्ष से अन्यून का अनुभव और पर्याप्त ज्ञान हो ।";

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष से भिन्न सदस्य, योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा और अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, लोकनीति या लोक प्रशासन या प्रबंधन के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो और उन्हें निम्नानुसार नियुक्त किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) एक व्यक्ति, जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी के क्षेत्र में पर्याप्त अर्हताएं और अनुभव रखता हो ;

(ख) एक व्यक्ति, जो वित्त, अर्थशास्त्र या वाणिज्य या लोकनीति या लोक प्रशासन या प्रबंधन के क्षेत्र में पर्याप्त अर्हताएं और अनुभव रखता हो ; और

(ग) एक व्यक्ति जो न्यायिक पद धारण कर रहा है या किया है या ऐसा व्यक्ति जिसके पास विधि में पर्याप्त वृत्तिक अर्हताएं और अनुभव है ।"।

धारा 85 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 85 में,—

(i) उपधारा (1) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) केंद्रीय सरकार का नामनिर्देशिती, जो भारत सरकार के अपर सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो ..... सदस्य ।";

(ii) उपधारा (6) में, "चयन समिति में कोई रिक्ति" शब्दों के स्थान पर, "चयन समिति में, अध्यक्ष से भिन्न, अन्य रिक्ति" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 86 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) के परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु टैरिफ विद्युत के प्रदाय के लिए उपगत सभी प्रज्ञापूर्ण लागतों की वसूली करता है और विनिधान पर युक्तियुक्त प्रत्यागम का भी उपबंध करता है तथा अनुज्ञप्तिधारियों के वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करता है :

परंतु यह और कि"

(ख) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) किसी व्यक्ति को, विद्युत की ग्रिड के साथ संयोजकता और उसके विक्रय के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन का संवर्धन और ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत का प्रतिशत भी विनिर्दिष्ट करना, जो ऐसी प्रतिशतता से कम नहीं होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ;";

(ग) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङक) विद्युत सह-उत्पादकता का संवर्धन ;";

(घ) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(च) ऐसे विवादों, जिनमें अनुज्ञप्तिधारियों या उत्पादन कंपनियों को अंतर्वलित करने वाली विद्युत के विक्रय, क्रय या पारेषण से संबंधित संविदाओं के अधीन बाध्यताओं के पालन संबंधी विवाद भी हैं, पर न्यायनिर्णयन करना :

परंतु किसी उत्पादन कंपनी या किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत क्रय करार के परिगमन की दशा में, विवाद पर समुचित आयोग को याचिका के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर

प्रभावित पक्षकार को उचित प्रतिकर के साथ ही न्यायनिर्णयन किया जाएगा ;

(चक) धारा 32 और धारा 33 से संबंधित विषयों के बारे में राज्य भार प्रेषण केंद्र को अंतर्वलित करने वाले विवादों पर न्यायनिर्णयन करना ;";

(ङ) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ञक) जहां प्रदाय के क्षेत्र में एक से अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारी हैं, वहां उपभोक्ता पसंद और वितरण प्रणाली का दक्ष, समन्वित और मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, निदेश या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना या विनियम विनिर्दिष्ट करना ;

(ञख) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों में से प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रत्येक छह मास के अंतरालों पर संसाधन पर्याप्ता का पुनर्विलोकन करना ;";

(च) खंड (ट) में, "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों के पश्चात्, "केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु राज्य आयोग का अध्यक्ष, एक न्यायपीठ का गठन करेगा, जो धारा 84 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्यों और एक सदस्य से अनधिक, जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाए, से मिलकर बनेगी, जो खंड (च) और खंड (चक) में उपबंधित कृत्यों का निर्वहन करेगी ;"।

धारा 89 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, "पैंसठ" शब्द के स्थान पर, "सड़सठ" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 90 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(छ) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का जानबूझकर उल्लंघन किया है या उनकी अनदेखी की है ; या

(ज) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन उसे या आयोग को समनुदेशित एक या अधिक कृत्यों का पालन करने में घोर उपेक्षा की है ।";

(ii) परंतुक में, "खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 94 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 94 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(4) समुचित आयोग और उसकी न्यायपीठ द्वारा किया गया कोई आदेश, सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे आयोग या न्यायपीठ को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जिनके अंतर्गत संपत्ति की कुर्की और विक्रय तथा रिसीवर की नियुक्ति भी हैं, किंतु ये इन तक ही सीमित नहीं है ।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस उपधारा में निर्दिष्ट समुचित आयोग या न्यायपीठ, उसके द्वारा किए गए आदेश को, स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारेषित कर सकेगी और ऐसा सिविल न्यायालय आदेश को इस प्रकार निष्पादित करेगा, मानो यह उस न्यायालय द्वारा की गई डिक्री हो ।"।

धारा 112 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) में, "तीन अन्य सदस्य" शब्दों के स्थान पर, "तीन से अन्यून, अन्य सदस्यों की ऐसी संख्या, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 128 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (2) में, "धारा 235" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 210" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 142 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 142 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।

"142. (1) जहां समुचित आयोग का, उसको की गई किसी शिकायत या अन्यथा पर यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है, वहां आयोग, ऐसे व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि किसी अन्य शास्ति पर, जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकेगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा व्यक्ति ऐसी शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक करोड़ रुपए से अधिक की नहीं होगी और लगातार असफलता की दशा में, ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे प्रथम निदेश के उल्लंघन के पश्चात् असफलता बनी रहती है, छह लाख रुपए तक की हो सकेगी, संदाय करेगा ।

(2) जहां समुचित आयोग का, उसको की गई किसी शिकायत या अन्यथा पर यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने उसके द्वारा जारी किसी विनियम, निदेश या आदेश का उल्लंघन किया है, वहां आयोग, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि किसी अन्य शास्ति पर, जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकेगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा व्यक्ति ऐसी शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए दस लाख रुपए से अधिक की नहीं होगी और लगातार असफलता की दशा में, ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे प्रथम निदेश के उल्लंघन के पश्चात् असफलता बनी रहती है, साठ हजार रुपए तक की हो सकेगी ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां समुचित आयोग का, उसके समक्ष फाइल की गई किसी शिकायत या अन्यथा पर यह समाधान हो जाता है कि बाध्यताधीन अस्तित्व ने धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का क्रय नहीं किया है, वहां आयोग, ऐसे व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि किसी अन्य शास्ति पर, जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकेगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा व्यक्ति, निम्नलिखित दर से संगणित राशि की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा,—

(i) प्रथम वर्ष के पश्चात् जारी रहने वाले क्रय में कमी के लिए पच्चीस पैसा प्रति किलोवाट-घंटा से अन्यून और पैंतीस पैसा प्रति किलोवाट-घंटा से अनधिक ;

(ii) व्यतिक्रम के दूसरे आनुक्रमिक वर्ष में क्रय में कमी के लिए पैंतीस पैसा प्रति किलोवाट-घंटा से अन्यून और पचास पैसा प्रति किलोवाट-घंटा से अनधिक ।"।

धारा 146 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 146 में, "या जुर्माने से जो एक लाख रुपए" शब्दों से आरंभ होने वाले और "पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"या जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध के संबंध में एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा और निरंतर जारी रहने वाली असफलता की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।"।

धारा 152 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (1) में, "स्वीकार कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर, "स्वीकार करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 166 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 166 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियामक मंच निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, धारा 42 की उपधारा (1), धारा 43 की उपधारा (1), धारा 60क की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 61 तथा धारा 62 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के प्रयोजनों के लिए राज्य आयोग के मागदर्शन के लिए आदर्श विनियम तैयार करना और उन्हें अधिकथित करना ;

(ख) वार्षिक आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के उपबंधों के अनुपालन की प्रास्थिति को मानीटर करना और केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ; और

(ग) कोई अन्य कृत्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।"।

धारा 176 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 176 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 2 के खंड (60क) के अधीन संदाय की प्रतिभूति ;

(कक) वह समय, जिसके भीतर धारा 3 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रारूप राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ;

(कख) धारा 8 की उपधारा (1क) के अधीन प्राधिकरण द्वारा सहमति की रीति ;

(कग) धारा 14 के खंड (ख) के अधीन प्रदाय के क्षेत्र के लिए मानदंड ;";

(ii) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झक) धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत के कुल उपयोग का प्रतिशत ;";

(iii) खंड (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(थक) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के सदस्यों की संख्या ;";

(iv) खंड (भ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(भक) धारा 166 की उपधारा (3क) के खंड (ग) के अधीन विनियामक मंच द्वारा निर्वहन किए जाने वाले अन्य कृत्य ;"।

धारा 178 का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (2) के खंड (फ) में, "आवेदन करने की रीति" शब्दों के स्थान पर, "आवेदन करने की रीति, समय" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 181 का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 181 की उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ठक) धारा 40 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के परंतुक के अधीन उपभोक्ता द्वारा पारेषण प्रभारों और उस पर अधिभार का संदाय ;";

(ख) खंड (यख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(यखक) धारा 60क की उपधारा (1) के अधीन प्रदाय के क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के बीच विद्युत और सहबद्ध लागतों के बटवारे के लिए करार ;

(यखख) धारा 60क की उपधारा (2) के अधीन किसी सरकारी कंपनी द्वारा परस्पर सहायकी संतुलन निधि का प्रबंधन ;";

(ग) खंड (यछ) में "आवेदन करने की रीति" शब्दों के स्थान पर,

"आवेदन करने की रीति, समय" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (यझ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(यझक) धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (त्र) के अधीन उपभोक्ता पसंद को सुनिश्चित करना ;"।

धारा 183 का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 183 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा यथा संशोधित, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) को विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उसके उपयोग और साधारणत: विद्युत उद्योग के विकास, उसमें प्रतिस्पर्धा के संवर्धन, उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण; और सभी क्षेत्रों में विद्युत के प्रदाय के, विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, सहायिकियों के बारे में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने, दक्ष और पर्यावरण के लिए हितकर नीतियों के संवर्धन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोगों के गठन और अपील अधिकरण की स्थापना में सहायक उपाय करने, से संबंधित विधियों का समेकन करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम ने विद्युत सेक्टर में विकास को सुकर बनाया है । विद्युत सेक्टर के सभी खंडों में विनिधान, अर्थात् उत्पादन, पारेषण और वितरण ने परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार किया है । पारेषण ग्रिड को "राष्ट्रीय ग्रिड" में एकीकृत कर दिया गया है और सभी गृहस्थों की ग्रिड विद्युततक पहुंच है । तथापि, विद्युत सेक्टर की निरंतरता के साथ संधारणीयता की नई चुनौतियां, संविदा प्रवर्तन, भुगतान सुरक्षा तंत्र, ऊर्जा परिवर्तन और उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता ताकि प्रतिस्पर्धा और सद्दश का संवर्धन किया जा सके, अधिनियम में कतिपय संशोधन करने के लिए आवश्यक हो गए हैं ।

3. वैश्विक जलवायु परिवर्तन चिंताओं और हमारी नवीकरणीय ऊर्जा में भागीदारी में वृद्धि करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के मद्देनजर हमारे पर्यावरण के लिए हरित ऊर्जा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भी अधिनियम में संशोधन आवश्यक हो गए हैं । इसके अतिरिक्त, अधिनियम में विनियामक तंत्र, न्यायनिर्णयन तंत्र को सुद्दढ़ करना और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के बेहतर निगम शासन के माध्यम से प्रशासनिक सुधार करना आवश्यक हो गया है ।

4. विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करना, जिससे देश में जल विद्युत सेक्टर के विकास को सुकर बनाने के लिए प्राधिकरण की सहमति द्वारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र को सुप्रभावी बनाना ;

(ii) अधिनियम की धारा 14 का संशोधन, ताकि प्रतिस्पर्धा को समर्थ बनाने, उपभोक्ताओं को सेवाओं में वृद्धि करने के लिए वितरण, अनुज्ञप्तिधारियों की दक्षता में सुधार करने और विद्युत सेक्टर में संधारणीयता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ गैर-विभेदकारी खुली पहुंच के अधीन सभी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वितरण नेटवर्क के उपयोग को सुकर बनाया जा सके ;

(iii) अधिनियम की धारा 26 का संशोधन करने के लिए, जिससे ग्रिड की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के कृत्य को और देश में विद्युत प्रणाली के आर्थिक और दक्ष प्रचालन को सुद्दढ़ बनाया जा सके;

(iv) अधिनियम की धारा 42 का संशोधन करने के लिए जिससे किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण नेटवर्क में गैर विभेदकारी खुली पहुंच को सुकर बनाया जा सके ;

(v) अधिनियम में एक नई धारा 60क अंतःस्थापित करने के लिए, जिससे आपूर्ति के समान क्षेत्र में बहु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की दशा में विद्युत क्रय और प्रति-सहायिकी के प्रबंधन को समर्थ बनाया जा सके ;

(vi) अधिनियम की धारा 62 का संशोधन करने के लिए, ताकि वर्ष के दौरान टैरिफ में श्रेणीबद्ध पुनरीक्षण के संबंध में उपबंध किया जा सके और अधिकतम सीमा के साथ न्यूनतम टैरिफ का समुचित आयोग द्वारा आज्ञापक नियतन किया जा सके ;

(vii) अधिनियम की धारा 142 का संशोधन करने के लिए, जिससे अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों की अननुपालना के लिए शास्ति की दर को बढाया जा सके;

(viii) अधिनियम की धारा 146 का संशोधन करने के लिए, जिससेदंड की दर को "कारावास या जुर्माने से" संपरिवर्तित करके "जुर्माना" किया जा सके;

(ix) अधिनियम की धारा 152 का संशोधन करने के लिए, जिससे किसी अपराध को उससे इतर करने को सुकर बनाया जा सके, क्योंकि शमन को स्वीकार करना आज्ञापक होगा ;

(x) अधिनियम की धारा 166 का संशोधन करने के लिए, जिससे विनियामकों के मंच द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्यों को सुदृढ़ किया जा सके ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

आर.के.सिंह

नई दिल्ली ;
2 अगस्त, 2022

खंडों पर टिप्पण

खंड 1–यह खंड प्रस्तावित विधायन के "संक्षिप्त नाम और प्रारंभ" का उपबंध करता है ।

खंड 2–यह खंड कतिपय पदों के निर्देश का कतिपय अन्य पदों द्वारा प्रतिस्थापन करने के लिए है ।

खंड 3–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो 'ऊर्जा भंडारण प्रणाली' को सम्मिलित करते हुए विद्युत प्रणाली की परिभाषा का संशोधन करने के लिए और "संदाय की प्रतिभूति" से संबंधित नई परिभाषा को अंत:स्थापित करने के लिए है ।

खंड 4–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है, जिससे प्राधिकरण की सहमति द्वारा जल विद्युत उत्पादन केंद्र को सुप्रवाही बनाने के लिए देश में जल विद्युत क्षेत्र के विकास को सुकर बनाया जा सके ।

खंड 5–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है, जिससे विद्युत सेक्टर के उपभोक्ताओं की सेवाओं की वृद्धि करने और संधारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिस्पर्धा को समर्थ बनाने, दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ गैर- विभेदकारी खुली पहुंच के उपबंधों के अधीन अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के वितरण नेटवर्क के उपयोग को सुकर बनाया जा सके ।

खंड 6–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 15 का संशोधन करने के लिए है, जिससे अनुज्ञप्ति प्रदान करने में विलंब के निवारण का उपबंध किया जा सके ।

खंड 7–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 26 का संशोधन करने के लिए है, जिससे ग्रिड की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र की शक्तियों और कृत्यों को और देश में विद्युत प्रणाली के आर्थिक और दक्ष प्रचालन को सुदृढ़ बनाया जा सके ।

खंड 8–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केवल विद्युत के अनुसूचन और प्रेषण का उपबंध किया जा सके, यदि संदाय सुरक्षा तंत्र को शोध्यों के समय से संदाय को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है ।

खंड 9–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है, जिससे केवल विद्युत के अनुसूचन और प्रेषण का उपबंध किया जा सके, यदि संदाय सुरक्षा तंत्र को शोध्यों के समय से संदाय को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है ।

खंड 8–मूल अधिनियम की धारा 28 विद्युत का निर्धारण या प्रेषण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक समय से ऐसी प्रतिभूति के संदाय हेतु तंत्र स्थापित करना सुनिश्चित न कर दिया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 9–मूल अधिनियम की धारा 32 विद्युत का निर्धारण या प्रेषण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक समय से ऐसी प्रतिभूति के संदाय हेतु तंत्र स्थापित करना सुनिश्चित न कर दिया जाए, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 10–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लिए है जिससे अंतरराज्यीय पारेषण तंत्र तक अधिकतम उपभोक्ताओं की पहुंच को सुकर

बनाया जा सके ।

खंड 11–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 42 का संशोधन करने के लिए है जो बहुवितरण अनुज्ञप्तिधारियों का उसी क्षेत्र में प्रचालन सुकर बनाने और वितरण नेटवर्क का प्रयोग करने में समानांतर नेटवर्क से प्रवारित रहने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 12–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 59 का संशोधन करने के लिए है जो वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कॉरपोरेट सुशासन सुधार के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 13–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 60 में प्रदाय के उसी क्षेत्र में बहुवितरण अनुज्ञप्तिधारियों की दशा में विद्युत क्रय प्रबंधन और प्रति सहायिकी का उपबंध करने के लिए है

खंड 14–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 61 में विद्युत के प्रदाय हेतु उपगत सभी मितव्ययी लागतों सुनिश्चित करने के लिए जो विद्युत सैक्टर की वित्तीय व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण है ।

खंड 15–मूल अधिनियम की धारा 62 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन के लिए खुदरा विक्रय के लिए आयोग द्वारा न्यूनतम टैरिफ के साथ टैरिफ की अधिकतम ऊपरी सीमा, अनिवार्य रुप से नियत करने का उपबंध करने के लिए है । यह खंड किसी वर्ष में टैरिफ के श्रेणिबद्ध पुनर्विलोकन करने के लिए भी है ।

खंड 16–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64 का संशोधन करने के लिए है जो समुचित आयोग द्वारा स्व:प्रेरणा से टैरिफ अवधारित करने, टैरिफ अविधारण के लिए अपेक्षित समय में कटौती करने और अंतरिम टैरिफ का उपबंध करने करने के लिए है ।

खंड 17–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 77 विनियामक तंत्र में सुधार करने और इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों के पद के लिए अर्हताओं में संशोधन करने का उपबंध करने के लिए है

खंड 18–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 78 का संशोधन करने के लिए है जिससे योजना आयोग की नामपद्धति में परिवर्तन के कारण पारिणामिक परिवर्तन और आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की समय से नियुक्ति को सुकर बनाने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 19–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 79 का संशोधन करने के लिए है जिससे संविदाओं से संबंधित विवादों के समय से निपटान को सुकर बनाने, और ऐसे मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए पृथक न्यायपीठों का सृजन करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 20–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 82 का संशोधन सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के लिए जिससे राज्य आयोग के सुगम और दक्ष रुप से कार्य करने को सुनिश्चित किया जा सके, कतिपय शर्तों के अधीन अन्य आयोग को कार्य न्यस्त का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 21–यह खंड मूल अधिनियम की धारा 84 का संशोधन सदस्यों की नियुक्ति हेतु आज्ञापक रुप से विधि पृष्ठभूमि होने के लिए उपबंध करता है जिससे

राज्य आयोग के कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके ।

खंड 22–यह खंड, राज्य आयोगों के लिए चयन समिति की संरचना से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 85 का संशोधन करने के लिए है,

खंड 23—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 86 का संशोधन करने के लिए है जिससे नवीकरणीय क्रय बाध्यता, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित प्रक्षेप पथ से कम नहीं होगी, का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 24—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 89 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूर्ण कार्यकाल का लाभ विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा लिया जा सके ।

खंड 25—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने के लिए है जिससे घोर उपेक्षा और इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अननुपालन के मामले में आयोग के सदस्य को हटाए जाने के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 26—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है जिससे आयोग के आदेशों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियों का विस्तार विनियामक आयोगों पर किया जा सके ।

खंड 27—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 112 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अपील अधिकरण तीन से अन्यून अन्य सदस्यों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

खंड 28—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 128 का संशोधन करने के लिए है जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 235 को धारा 210 से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 29—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 142 का संशोधन करने के लिए है जिससे नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अननुपालन के लिए शास्ति के संबंध में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किया जा सके ।

खंड 30—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 146 का संशोधन करने के लिए है जिससे कारबार करने की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए कारावास उपबंधों को हटाकर अपराध का निरापर्धीकरण किया जा सके । इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन जारी नियमों, विनयमों तथा आदेशों के अननुपालन के लिए अधिकतम अनुज्ञेय शास्ति रकम को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ।

खंड 31—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 152 का संशोधन करने के लिए है जिससे अपराध के निरापराधीकरण को सुकर बनाया जा सके क्योंकि यह प्रशमन को स्वीकार करने के लिए आज्ञापक होगा ।

खंड 32—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 166 का संशोधन करने के लिए है जिससे अधिनियम को उपबंधों के सुगम कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों पर आदर्श विनियम प्रकाशित करने के लिए विनियामकों के मंच पर सशक्त किया जा सके ।

खंड 33—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 176 का संशोधन करने के लिए

है जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसे कतिपय मामलों पर विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके जिन्हें प्रस्तावित संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित किया गया है ।

खंड 34—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 178 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय आयोग को ऐसे कतिपय मामलों पर विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके जिन्हें प्रस्तावित संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित किया गया है ।

खंड 35—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 181 का संशोधन करने के लिए है जिससे राज्य आयोग को ऐसे कतिपय मामलों पर विनियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके जिन्हें प्रस्तावित संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित किया गया है ।

खंड 36—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 183 का संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2022 के उपबंधों को प्रभावी करने में आई कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त किया जा सके ।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधान के उपबंधों से भारत की संचित निधि में से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 35, विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 176 की उपधारा (2) के संशोधन का प्रस्ताव करती है जो केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रस्तावित संशोधन, अन्य बातों के साथ,-- (क) धारा 2 के खंड 60(क) के अधीन प्रतिभूति का संदाय; (ख) धारा 8 की उपधारा (1क) के अधीन प्राधिकरण द्वारा सहमति की रीति; (ग) धारा 14 के खंड (ख) के अधीन प्रदाय के क्षेत्र के लिए मानदंड; (घ) धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत के कुल उपयोग का प्रतिशत; (ङ) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के सदस्यों की संख्या; और (च) धारा 166 की उपधारा (3क) के खंड (ग) के अधीन विनियामक मंच द्वारा निर्वहन किए जाने वाले अन्य कृत्य; का उपबंध करने के लिए हैं ।

2. विधेयक का खंड 36, उक्त अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जो केंद्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (2) प्रस्तावित संशोधन, केंद्रीय आयोग के समक्ष कोई आवेदन करने की रीति, समय और धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन उसके लिए संदेय फीस; का उपबंध करने के लिए है ।

3. विधेयक का खंड 37 उक्त अधिनियम की धारा 181 की उपधारा (2) के संशोधन का प्रस्ताव करती है जो राज्य आयोग की विनियम बनाने की शक्ति से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (2) का प्रस्तावित संशोधन अन्य बातों के साथ, (क) धारा 40 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के परंतुक के अधीन उपभोक्ता द्वारा पारेषण प्रभारों और उस पर अधिभार का संदाय; (ख) धारा 60क की उपधारा (1) के अधीन प्रदाय के क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के बीच विद्युत और सहबद्ध लागतों के बटवारे के लिए करार; (ग) धारा 60क की उपधारा (2) के अधीन किसी सरकारी कंपनी द्वारा परस्पर सहायिकी संतुलन निधि का प्रबंधन; (घ) राज्य आयोग के समक्ष कोई आवेदन करने की रीति, समय तथा धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन इसके लिए संदेय फीस; और (ङ) धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन उपभोक्ता पसंद को सुनिश्चित करना; का उपबंध करने के लिए है ।

4. वे विषय जिनके संबंध में उपरोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, प्रशासनिक ब्यौरों और प्रक्रिया के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 36) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * * *

(31) "सरकारी कंपनी" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में उसका है; 1956 का 1

* * * * * *

(50) "विद्युत प्रणाली" से विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और प्रदाय के सभी पहलू अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से एक या अधिक है—

* * * * * *

(ञ) संकर्म;

* * * * * *

(60) "अनुसूची" से, इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

* * * * * *

अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना।

14. समुचित आयोग, धारा 15 के अधीन उसको किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे क्षेत्र में, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए—

* * * * * *

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत वितरित करने के लिए; या

* * * * * *

परन्तु नियत तारीख को या उसके पूर्व निरसित विधियों या अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम के उपबंधों के अधीन विद्युत के पारेषण या प्रदाय के कारबार में लगे किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन ऐसी अवधि के लिए, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट निरसित विधियों या अधिनियम के अधीन उसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति, समाशोधन या अनुमोदन में अनुबंधित किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी है और ऐसी अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट निरसित विधियों या ऐसे अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि या ऐसी पूर्वतर अवधि के लिए, जो अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लागू होंगे और उसके पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध ऐसे कारबार को लागू होंगे :

* * * * * *

अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया।

15. (1) * * * * *

(6) जहां कोई व्यक्ति धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन करता है वहां समुचित आयोग, जहां तक साध्य हो, ऐसा आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् नब्बे दिन के भीतर,—

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति जारी करेगा; या

(ख) आवेदन को, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यदि ऐसा आवेदन इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुरूप न हो तो नामंजूर करेगा :

परन्तु कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो ।

* * * * * *

26. (1) * * * * *

राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र ।

(2) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र का गठन और कृत्य वे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, विद्युत व्यापार के कारबार में नहीं लगेगा ।

* * * * * *

28. (1) * * * * *

प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के कृत्य ।

(3) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र—

(क) प्रदेश में प्रचालन करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों या उत्पादन कंपनियों के साथ की गई संविदाओं के अनुसार प्रदेश के भीतर विद्युत के अधिकतम निर्धारण और प्रेषण के लिए उत्तरदायी होगा;

* * * * * *

32. (1) * * * * *

राज्य भार प्रेषण केन्द्रों के कृत्य ।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र—

(क) राज्य में प्रचालन करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों या उत्पादन कंपनियों के साथ की गई संविदाओं के अनुसार राज्य के भीतर विद्युत के अधिकतम निर्धारण और प्रेषण के लिए उत्तरदायी होगा ;

* * * * * *

40. किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह—

पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के कर्तव्य।

* * * * * *

(ग) अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी निर्बाध पहुंच,—

* * * * * *

(ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस पर ऐसे अधिभार के संदाय पर जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

उपयोग के लिए प्रदान करना :

* * * * * *

परंतु यह और कि ऐसे अधिभार और प्रति-सहायिकी को ऐसी रीति में उत्तरोत्तर घटाया जाएगा जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

* * * * * *

भाग 6

विद्युत का वितरण

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के बारे में उपबंध

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य और निर्बाध पहुंच ।

42. (1) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने प्रदाय क्षेत्र में एक दक्ष, समन्वित और मितव्ययी वितरण विकसित करे और उसका अनुरक्षण करे तथा इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विद्युत का प्रदाय करे ।

* * * * * *

निष्पादन के स्तर की बाबत जानकारी ।

59. (1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आयोग को निम्नलिखित जानकारी भेजेगा, अर्थात् :—

* * * * * *

(ख) धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन उन मामलों की संख्या जिनमें प्रतिकर दिया गया था और प्रतिकर की कुल रकम ।

* * * * * *

भाग 7

टैरिफ

टैरिफ विनियमन ।

61. समुचित आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसा करते समय निम्नलिखित से मार्गदर्शित होगा, अर्थात् :—

* * * * * *

(छ) टैरिफ क्रमिक रूप से विद्युत प्रदाय की लागत को प्रतिबिंबित करता है और समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में, प्रतिसहायिकियों को भी कम करता है;

* * * * * *

टैरिफ का अवधारण ।

62. (1) समुचित आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित के लिए टैरिफ का अवधारण करेगा—

* * * * * *

(घ) विद्युत का खुदरा विक्रय :

परन्तु एक ही क्षेत्र में दो या अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के वितरण की दशा में समुचित आयोग, विद्युत अनुज्ञप्तिधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा के संवर्धन के लिए विद्युत के फुटकर विक्रय के लिए टैरिफ की केवल अधिकतम सीमा नियत कर सकेगा ।

* * * * * *

(4) किसी टैरिफ या उसके किसी भाग का साधारणतया किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक संशोधन नहीं किया जाएगा सिवाय ऐसे परिवर्तनों के संबंध में जिन्हें किसी ईंधन अधिभार सूत्र, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, के निबंधनों के अधीन अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात किया गया हो ।

* * * * * *

64. (1) धारा 62 के अधीन टैरिफ का अवधारण करने के लिए आवेदन, उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, किया जाएगा । टैरिफ आदेश के लिए प्रक्रिया ।

* * * * * *

(3) समुचित आयोग, उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति से एक सौ बीस दिन के भीतर जनता से प्राप्त सभी सुझावों और आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात्—

(क) ऐसे उपांतरणों और ऐसी शर्तों के साथ जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, आवेदन को स्वीकार करते हुए टैरिफ आदेश जारी करेगा;

* * * * * *

77. (1) केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त या प्रबंध से संबंधित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान, अनुभव और दर्शित क्षमता रखने वाले व्यक्ति होंगे और निम्नलिखित रीति से नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :— केंद्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

(क) एक व्यक्ति, जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी के क्षेत्र में अर्हताएं और अनुभव रखता हो;

(ख) एक व्यक्ति जो वित्त के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव रखता हो;

(ग) दो व्यक्ति जो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, विधि या प्रबंध में अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

परंतु खंड (ग) के अधीन एक ही प्रवर्ग में से एक से अधिक सदस्य नियुक्त नहीं किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् ही की जाएगी ।

* * * * * *

78. (1) केंद्रीय सरकार, अपील अधिकरण के सदस्यों और केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति का गठन करेगी— सदस्यों की सिफारिश करने के लिए चयन समिति का गठन ।

(क) विद्युत सेक्टर का भारसाधक योजना आयोग का सदस्य ... अध्यक्ष;

* * * * * *

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों में, से जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में विनिर्दिष्ट किसी लोक वित्तीय संस्था में अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक का पद, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, धारण करते हों, नामनिर्देशित करेगी । (1956 का 1)

* * * * * *

(9) अध्यक्ष या अन्य सदस्य की कोई नियुक्ति चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी :

परंतु इस धारा की कोई बात केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति को लागू नहीं होगी जहां ऐसा व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है ।

* * * * * *

केंद्रीय आयोग के कृत्य ।

79. (1) केंद्रीय आयोग, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

* * * * *

(च) उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना और माध्यस्थम् के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

* * * * * *

(ञ) विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, तो व्यापार अन्तर को नियत करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं ।

* * * * * *

राज्य आयोगों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य

राज्य आयोग का गठन ।

82. (1) * * * * *

(4) राज्य आयोग तीन सदस्यों से अनधिक से मिलकर बनेगा जिसमें अध्यक्ष सम्मिलित है ।

* * * * * *

राज्य आयोग के अध्यक्ष, और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

84. (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष और सदस्य योग्यता, कर्तव्यनिष्ठा और अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास इंजीनियरी, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि या प्रबंध से संबंधित समस्याओं के बारे में कार्रवाई करने का पर्याप्त ज्ञान हो और उन्होंने उसमें क्षमता प्रदर्शित की हो ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, ऐसे व्यक्तियों में से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं, किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श करने के पश्चात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

* * * * * *

राज्य आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए चयन समिति का गठन ।

85. (1) राज्य सरकार, राज्य आयोग के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनों के लिए, एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

* * * * * *

(ग) प्राधिकरण का अध्यक्ष या केन्द्रीय आयोग का अध्यक्ष—सदस्य:

परंतु इस धारा की कोई बात अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, की नियुक्ति को लागू नहीं होगी ।

* * * * * *

(6) अध्यक्ष या अन्य सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस आधार पर

अविधिमान्य नहीं होगी की चयन समिति में कोई रिक्ति है ।

* * * * * *

86. (1) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:— राज्य आयोग के कृत्य ।

(क) राज्य के भीतर, यथास्थिति, थोक, प्रपुंज या फुटकर विद्युत के उत्पादन, प्रदाय, पारेषण और चक्रण के लिए टैरिफ अवधारित करना :

परंतु जहां उपभोक्ताओं के किसी प्रवर्ग के लिए धारा 42 के अधीन निर्बाध पहुंच अनुज्ञात की गई है, वहां राज्य आयोग उपभोक्ताओं के उक्त प्रवर्ग के लिए केवल चक्रण प्रभारों और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, का ही अवधारण करेगा;

* * * * * *

(ङ) किसी व्यक्ति को, विद्युत की ग्रिड के साथ संयोजकता और उसके विक्रय के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से सहउत्पादन और उत्पादन और ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत का प्रतिशत भी विनिर्दिष्ट करना;

(च) अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच विवादों पर न्यायानिर्णयन करना और किसी विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करना;

* * * * * *

(ञ) विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, तो व्यापार लाभ मार्जन नियत करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित किए जाएं ।

* * * * * *

समुचित आयोग — अन्य उपबंध

89. (1) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य उस तारीख से, जिसको वह पद ग्रहण करता है, पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा : सदस्यों की पदावधि और सेवा-शर्तें ।

परंतु केंद्रीय आयोग या राज्य आयोग में अध्यक्ष या अन्य सदस्य उस आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसी हैसियत में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसमें वह पहले उस रूप में पद धारित करता था :

परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

* * * * * *

90. (1) * * * * * सदस्य का हटाया जाना ।

(2) केन्द्रीय आयोग के सदस्य की दशा में, केंद्रीय सरकार और राज्य आयोग के सदस्य की दशा में राज्य सरकार, आदेश द्वारा किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि वह—

* * * * * *

(च) वह साबित कदाचार का दोषी रहा है :

परंतु कोई भी सदस्य, खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी

आधार पर अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि, अपील अधिकरण के अध्यक्ष ने यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त उसे किए गए निर्देश पर ऐसी जांच के पश्चात्, जो उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार की गई हो, यह रिपोर्ट न दी हो कि उक्त सदस्य को ऐसे आधार या आधारों पर पद से हटा दिया जाना चाहिए ।

* * * * * *

अपील अधिकरण की संरचना ।

112. (1) अपील अधिकरण में एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे ।

* * * * * *

कतिपय विषयों का अन्वेषण ।

128. (1) * * * * *

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अन्वेषण प्राधिकारी, किसी भी समय और समुचित आयोग द्वारा ऐसा करने का निदेश दिए जाने पर, किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी और उसकी लेखा पुस्तकों का अपने एक या अधिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करवाएगा और, यथास्थिति, अन्वेषण प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी को ऐसे निरीक्षण की अपनी रिपोर्ट की एक प्रति का प्रदाय करेगा । 1956 का 1

* * * * * *

समुचित आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अननुपालन के लिए दंड ।

142. यदि किसी व्यक्ति द्वारा समुचित आयोग के समक्ष कोई शिकायत फाइल की जाती है या यदि उस आयोग का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या आयोग द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है, तो समुचित आयोग ऐसे व्यक्ति को, मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी अन्य शास्ति पर जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी होगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में प्रत्येक उल्लंघन के लिए ऐसी रकम का संदाय करेगा जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और लगातार असफलता की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे निदेश के प्रथम उल्लंघन के पश्चात् असफलता बनी रहती है, संदाय करेगा जो छह हजार रुपए तक हो सकेगी ।

* * * * * *

आदेशों या निदेशों के अननुपालन के लिए दंड ।

146. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का ऐसे समय के भीतर जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या दुष्प्रेरण करेगा, वह प्रत्येक अपराध की बाबत ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और निरंतर असफल रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता ऐसे अपराध के प्रथम सिद्धदोष होने के पश्चात् जारी रहती है, पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परंतु यह कि इस धारा की कोई बात धारा 121 के अधीन जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों या निदेशों को लागू नहीं होगी ।

* * * * * *

1974 का 2 **152.** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार या उसके द्‌वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय विद्‌युत की चोरी का अपराध किया है या जिसके द्‌वारा किए जाने का समुचित रूप से संदेह है, अपराध के शमन के रूप में नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि स्वीकार कर सकेगा :— अपराधों का शमन ।

* * * * * *

176. (1) * * * * * केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध हो सकेगा, अर्थात्‌ :—

(क) वह समय जिसके भीतर प्रारूप राष्ट्रीय विद्‌युत योजना के संबंध में आक्षेप और सुझाव धारा 3 की उपधारा (4) के परंतुक के अधीन, प्राधिकरण द्‌वारा आमंत्रित किए जाएंगे;

* * * * * *

(झ) धारा 73 के अधीन केन्द्रीय विद्‌युत प्राधिकरण के कृत्य और कर्तव्य;

* * * * * *

(थ) धारा 111 की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल करने का प्ररूप, ऐसे प्ररूप के सत्यापन की रीति और उसकी फीस;

* * * * * *

(भ) धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षकों द्‌वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कृत्य;

* * * * * *

178. (1) * * * * * केन्द्रीय आयोग की विनियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध हो सकेगा, अर्थात्‌ :—

* * * * * *

(फ) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय आयोग के समक्ष आवेदन करने की रीति और उसके लिए संदेय फीस;

* * * * * *

181. (1) * * * * * राज्य आयोगों की विनियम बनाने की शक्तियां ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित किन्हीं या सभी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌ :—

* * * * * *

(ठ) धारा 40 के खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन पारेषण प्रभारों और

किसी अधिभार का संदाय;

*   *   *   *   *   *

(यख) वह अवधि जिसके भीतर धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जानकारी दी जानी है;

*   *   *   *   *   *

(यछ) धारा 64 की उपधारा (1) के अधीन राज्य आयोग के समक्ष आवेदन करने की रीति और उसके लिए संदेय फीस;

*   *   *   *   *   *

(यझ) धारा 66 के अधीन विनिर्दिष्ट वह रीति जिसके द्वारा विद्युत बाजार, जिसके अंतर्गत व्यापार भी है, का विकास किया जाएगा;

*   *   *   *   *   *